TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India Ministry of Corporate Affairs Notification

New Delhi, the 22 January, 2019,

G.S.R. ___ (E). - In exercise of the powers conferred by clause (31) of section 2 and section 73 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby makes the following rules further to amend the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014, namely:-

- (1) These rules may be called the Companies (Acceptance of Deposits)
 Amendment Rules, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1), in clause (c), in sub-clause(xviii), after the words "Infrastructure Investment Trusts," the words "Real Estate Investment Trusts" shall be inserted.

3. In the said rules, in rule 16, the following Explanation shall be inserted, namely:-

"Explanation.- It is hereby clarified that Form DPT-3 shall be used for filing return of deposit or particulars of transaction not considered as deposit or both by every company other than Government company.".

- 4. In the said rules, in rule 16(A), after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
- "(3) Every company other than Government company shall file a onetime return of outstanding receipt of money or loan by a company but not considered as deposits, in terms of clause (c) of sub-rule 1 of rule 2 from the 01st April, 2014 to the date of publication of this notification in the Official Gazette, as specified in Form DPT-3 within ninety days from the date of said publication of this notification along with fee as provided in the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014.".
- 5. In the said rules, in the Annexure, for Form DPT-3, the following Form shall be substituted namely:-

"FORM DPT-3

Return of deposits

[Pursuant to rules 3 and 16 of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014]



- Rules, 2014] Form language o English o Hindi Refer the instruction kit for filing the form. Onetime Return for disclosure of details of outstanding money or loan received by a company but not considered as deposits in terms of rule 2(1)(c) of the Companies(Acceptance of Deposits) Rules, 2014 o Return of deposit or Return for disclosures of money or loan received by a company but not considered as deposits in terms of rule 2(1)(c) of the Companies(Acceptance of Deposits) Rules, 2014 or both ° Return of deposit Pre fill 1. (a) *Corporate Identity Number (CIN) (b) Global Location Number (GLN) 2. (a) Name of the company (b) Registered office address (c) *email id 3. Purpose of the Form Return of Deposit
 - Particulars of transactions by a company not considered as deposit as per rule 2 (I) (c) of the Companies (Acceptance of Deposit) Rules, 2014
 - o Return of Deposit and Particulars of transactions by a company not considered as deposit
- 4. Whether the company is o Public company o Private company
- 5. *Whether the company is a government company o Yes o No

bjects of the	e company		
	ue of advertisement or circular		
	last closing of accounts expiry of validity of advertisement or circular		
		ing the data of the ret	
vet worth a	s per the latest audited balance sheet preced	ing the date of the re-	turn-
S. No.	Particulars		Amount (in Rupees)
(a) (i)	Paid up share capital		
(ii)	Free reserves		
(iii)	Securities Premium Account		
(b)(i)	Accumulated loss		*
(ii)	Balance of deferred revenue expenditure		
(iii)	Accumulated unprovided depreciation		
(iv)	Miscellaneous expense and preliminary expe	enses	
(v)	Other intangible assets		
(c)	Net worth (a) – (b)		
(d)	Maximum limit of deposits (i.e. 35% of the		
	companies other than specified IFSC pul private companies)	olic companies and	
Total numb	per of deposit holders as on 1st April		
	of deposits (In Rupees)		
a) Amount o	of existing deposits as on 1st April		
b) Amount o	of deposits renewed during the year		
c) Amount o	f new deposits accepted during the year		
	(i) Secured deposits		
	(ii) Unsecured deposits		
	of deposits repaid during the year		

.

(e) Balance of deposits outstanding at the end of the year	
1. (a) *Amount of deposits that have matured but not claimed (b) *Amount of deposits that have matured and claimed but not paid	
2. *Particulars of liquid assets	
(a) Amount of deposits maturing by the end of the financial year	
and in the following next financial year	
(b) Amount required to be invested in liquid assets	
c) Details of liquid assets	
Particulars	Amount
(a) Amount in current or other deposits account, free from charge or lien, with any scheduled bank	
(b) Unencumbered securities of Central/State Government Face value	
Market Value	
(c) Unencumbered trust securities	
Face value Market value	
3. Particulars of charge (a) Date of entering into trust deed	
(b) Name of the trustee	
(c) Short particulars of the property on which charge is created for securing dep	ositors
(c) short particulars of the property of which charge is created for securing dep	
(d) Value of the property	
(d) value of the property	

	of outstanding money or loan	
ved by a com		
ot considered		
ms of rule 2(1)(c) of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules,	
	in rule 16(A)(3)	
us specifica	in rule 10(A)(S)	
	eipt of money or loan by a company but not considered as deposits se (c) of sub-rule 1 of rule 2 of the Companies (Acceptance of Depo	
Terms or clau.	se (c) of sub-rule 1 of rule 2 of the companies (Acceptance of Depo	
		Amount
(a) Any as	a count we seliced from	
	nount received from - Central Government; or	
	tate Government; or any amount received from any other source	
	repayment is guaranteed by the Central Government or State	
	nment; or	
	y amount received from a local authority; or	
	y amount received from statutory authority constituted under an	
Act of Parliame	ent or a State Legislature.	
(b) Any ar	mount received from -	
(b) Any ar	Foreign Governments; or	
	Foreign Governments; or Foreign or international banks;	
(i) (ii) (iii)	Foreign Governments; or Foreign or international banks; Multilateral financial institutions;	
(i) (ii)	Foreign Governments; or Foreign or international banks; Multilateral financial institutions; Foreign Governments owned development financial	
(i) (ii) (iii) (iv)	Foreign Governments; or Foreign or international banks; Multilateral financial institutions; Foreign Governments owned development financial institutions;	
(i) (ii) (iii) (iv)	Foreign Governments; or Foreign or international banks; Multilateral financial institutions; Foreign Governments owned development financial institutions; Foreign export credit agencies;	
(i) (ii) (iii) (iv) (v) (v) (vi)	Foreign Governments; or Foreign or international banks; Multilateral financial institutions; Foreign Governments owned development financial institutions; Foreign export credit agencies; Foreign collaborators;	
(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii)	Foreign Governments; or Foreign or international banks; Multilateral financial institutions; Foreign Governments owned development financial institutions; Foreign export credit agencies; Foreign collaborators; Foreign body corporates;	
(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii)	Foreign Governments; or Foreign or international banks; Multilateral financial institutions; Foreign Governments owned development financial institutions; Foreign export credit agencies; Foreign collaborators; Foreign body corporates; Foreign citizens;	
(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix)	Foreign Governments; or Foreign or international banks; Multilateral financial institutions; Foreign Governments owned development financial institutions; Foreign export credit agencies; Foreign collaborators; Foreign body corporates; Foreign citizens; Foreign authorities or;	
(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii)	Foreign Governments; or Foreign or international banks; Multilateral financial institutions; Foreign Governments owned development financial institutions; Foreign export credit agencies; Foreign collaborators; Foreign body corporates; Foreign citizens; Foreign authorities or; Persons residents outside India subject to the provisions of	
(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix)	Foreign Governments; or Foreign or international banks; Multilateral financial institutions; Foreign Governments owned development financial institutions; Foreign export credit agencies; Foreign collaborators; Foreign body corporates; Foreign citizens; Foreign authorities or;	
(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix)	Foreign Governments; or Foreign or international banks; Multilateral financial institutions; Foreign Governments owned development financial institutions; Foreign export credit agencies; Foreign collaborators; Foreign body corporates; Foreign citizens; Foreign authorities or; Persons residents outside India subject to the provisions of	
(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix)	Foreign Governments; or Foreign or international banks; Multilateral financial institutions; Foreign Governments owned development financial institutions; Foreign export credit agencies; Foreign collaborators; Foreign body corporates; Foreign citizens; Foreign authorities or; Persons residents outside India subject to the provisions of	

(c)	Any amount received as -	
	(i) A loan or facility from any banking company; or	
	(ii) From the state Bank of India or any of its subsidiary banks; or	
	(iii) From a banking institution notified by the Central Government	
	under section 51 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of	
	1949); or	
	(iv) A corresponding new bank as defined in clause(d)of section 2	
	of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of	
	Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980); or	
	(v) From a cooperative bank as defined in clause (b-ii) of section 2	
(1)	of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934).	
(d)	Any amount received as loan or financial assistance from -	
	(i) Public Financial Institutions notified by the Central	
	Government; or	
	(ii) Any regional financial institutions; or	
	(iii) Insurance companies; or	
	(iv) Scheduled Banks as defined in the Reserve Bank of India	
	Act,1934 (2 of 1934).	
(e)	Any amount received against issue of commercial paper or any other	
	instruments issued in accordance with the guidelines or notification	
	issued by the Reserve Bank of India.	
(f)	Any amount received by the company from any other company.	
(g)	Any amount received and held pursuant to an offer made in accordance	
	with the provisions of the Act towards subscription to any securities	
	including share application money or advance towards allotment of	
	securities pending allotment, so long as such amount is appropriated	
	only against the amount due on allotment of securities applied for.	
(h)	Any amount received from a person who, at the time of the receipt of	
	the amount, was a director of the company or the relative of the	
	director of a private company.	
(i)	(A)Any amount raised by the issue of bonds or debentures secured by a	
(1)	first charge or a charge ranking pari passu with the first charge on any	
	assets referred to in Schedule III of the Act excluding intangible assets	
	of the company; or	
	(B) bonds or debentures compulsorily convertible into shares of the	
(1)	company within ten years.	
(J)	Any amount raised by the issue of non-convertible debentures not	
	constituting a charge on the assets of the company and listed on	
	recognized stock exchange as per applicable regulations made by	
	Securities and Exchange Board of India.	
(k)	Any amount received from an employee of the company not exceeding	
	his annual salary under a contract of employment with the company in	
	the nature of non-interest bearing security deposit.	

	mount received in course of , or for the purposes of the business	
of the	company-	
(i)	As an advance for supply of goods or provision of services	
	accounted for in any manner whatsoever provided that such	
	advance is appropriated against supply of goods or provision of	
	services within a period of three hundred and sixty five days	
	from the date of acceptance of such advance.	
(ii)	As advance accounted for in any manner whatsoever, received	
	in connection with consideration for immovable property under	
	an agreement or arrangement, provided that such advance is	
	adjusted against such property in accordance with the terms of	
	agreement or arrangement.	
(iii)	As security deposit for performance of the contract of supply of	
	goods or provision of services.	
(iv)	As advance received under long term projects for supply of	
	capital goods except those covered under item (b) of sub-clause	
	(xii) clause (c) of sub- rule (1) of rule (2) of the Companies	
	(Acceptance of Deposits) Rules, 2014.	
(v)	As an advance towards consideration for providing future	
	services in the form of a warranty or maintenance contract as	
	per written agreement, if the period for providing such services	
	does not exceed the period prevalent as per common business	
	practice or five years, from the date of acceptance of such	
	service whichever is less.	
(vi)	As advance received and allowed by any sectoral regulator or in	
	accordance with directions of Central or State Government.	
(vii)	As an advance for subscription towards publication, whether in	
	print or electronic to be adjusted against receipt of such	
	publications.	
(viii)	Any amount brought in by promoters of the company by way of	
	unsecured loans in pursuance of the stipulation of any lending	
	financial institution.	
(ix)	Any amount received by a Nidhi company in accordance with	
	the rules made under section 406 of the Act.	
(x)	Any amount received by way of subscription in respect of chit	
	under the Chit Funds Act, 1982(4 of 1982).	
(xi)	Any amount received by company under any collective	
	Investment scheme in compliance with regulations framed by	
	the Securities and Exchange Board of India.	
(xii)	Any amount of twenty five lakh rupees or more received by a	
	start up company, by way of convertible note (convertible into	
	equity shares or repayable within a period not exceeding five	
	years from the date of issue) in a single tranche, from a person.	

(xiii) Any amou	unt received by a company from -
(A)	Alternate Investment Funds;
	Domestic venture Capital Funds;
(C)	Infrastructure Investments Trusts;
(D)	Real Estate Investment Trusts;
(E)	Mutual Funds registered with the Securities and
	Exchange Board of India.
Attachments	List of attachments
1. Auditor's certificate;	Attach
2. Copy of trust deed;	Attach
	instrument creating Attach
	Instrument creating Attach
charge;	
(c) List of dep	ALLACII
	liquid assets; Attach
(e) Optional a	attachment, if any. Attach Attach
	Remove attachment
	Declaration
I am authorized by the Board of	Directors of the Company vide resolution number*
dated *	to sign this form and declare that all the requirements of the Companies Act, 2013
and the rules made thereunder	in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have
	re that all the information given herein above is true, correct and complete including
	d nothing material has been suppressed.
*To be digitally signed by	
	DSC Box
*Designation	
*DIN of the director; or DIN or F	AN of the manager or
CEO or CFO; or membership nur	mber of the company secretary
Note: Attention is also drawn punishment for false stateme	to provisions of sections 448 and 449 of the Act which provide for nt and false evidence.

For office use only:	Affix filing details	
Form Service request number (SRN)	eForm filing date	(DD/MM/YYYY)
This e-Form is hereby registered		
Digital signature of the authorising officer	Confirm submission	
Date of signing	(DD/MM/YYYY)	

[File No 1/8/2013-CL-V]

K V R Murty)

Joint Secretary to the Government of India

Note. - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 256(E), dated the 31st March, 2014 and were subsequently amended -

- (1) vide notification number G.S.R. 386(E), dated the 6th June, 2014;
- (2) vide notification number G.S.R. 241(E), dated the 31st March, 2015;
- (3) vide notification number G.S.R. 695(E), dated the 15th September, 2015;
- (4) vide notification number G.S.R. 639(E), dated the 29th June, 2016;
- (5) vide notification number G.S.R. 454(E), dated the 11th May, 2017;
- (6) vide notification number G.S.R. 1172(E), dated the 19th September, 2017; and
- (7) vide notification number G.S.R.612(E), dated 5th July, 2018.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 22, जनवरी, 2019

सा.का.नि. _____ (अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 2 के खंड (31) और धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्ः-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (जमा की स्वीकृति) संशोधन नियम, 2019 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), नियम 2 के, उप-नियम (1) के, खंड (ग) के, उपखंड (xviii) में, "अवसंरचना निवेश न्यास", शब्दों के पश्चात् "स्थावर संपदा निवेश न्यास" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
- 3. उक्त नियमों में, नियम 16 में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा; अर्थात:-

"स्पष्टीकरण.- यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकारी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी द्वारा प्ररूप डीपीटी-3 का उपयोग जमा का विवरण फाइल करने या संव्यवहार के विवरण जिन्हें जमा के रूप में या दोनों के लिए विचार नहीं किया गया है उपयोग किया जाएगा।"

- 4. उक्त नियमों में, नियम 16(क) के, उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
- "(3) सरकारी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी किसी कंपनी द्वारा धन या ऋण की बकाया रसीद की विवरणी जिसे जमा के रूप में नहीं माना गया है, तारीख 01 अप्रैल, 2014 से नियम 2 के, उप-नियम (1) के खंड (ग) के अनुसार राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से जैसा कि प्ररूप डीपीटी-3 में निर्दिष्ट है, कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और शुल्क) नियम, 2014 में, यथा उपबंधित शुल्क के साथ इस अधिसूचना के उक्त प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर फाइल करेगी।"।
- 5. उक्त नियमों के, उपाबंध में, प्ररूप डीपीटी-3 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप डीपीटी-3

जमा की विवरणी [कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 3 और 16 के अन्सरण में]



प्ररूप की भाषा O अंग्रेजी O हिंदी प्ररूप भरने के लिए निर्देश देखें

- किसी कंपनी द्वारा प्राप्त बकाया धन राशि या ऋण प्राप्ति के ब्यौरे के प्रकटीकरण के लिए एकमुश्त विवरणी जिसे कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 2(1)(ग) के निबंधनों के अनुसार जमा के रूप में नहीं माना गया है।
- ि किसी कंपनी द्वारा प्राप्ति धन राशि या ऋण के जमा की विवरणी या प्रकटीकरणों के लिए विवरणी जिसे कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 2(1)(ग) के निबंधनों के अनुसार जमा के रूप में नहीं माना गया है या दोनों।
 - ० किसी कंपनी द्वारा प्राप्ति धन राशि
- 3. प्ररूप का प्रयोजन
 - o जमा की विवरणी
 - किसी कंपनी द्वारा संव्यवहारों का विवरण जिसे कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम,
 2014 के नियम 2(1)(ग) के अनुसार जमा के रूप में नहीं माना गया है।

	० किसी	कंपनी द्वारा जमा की विवरणी और संव्यवहारों का विवर	ण जिसे जमा नही			
माना	गया है।					
4.	क्या कंप	नी है O सार्वजनिक कंपनी O निजी कंपनी				
5.	*क्या कंपनी सरकारी कंपनी है O हां O नहीं					
6. कंपनी के उद्देश्य		<u> </u>				
7.	(क) विज्ञापन या परिपत्र जारी करने की तारीख					
	(ख) * अं	(ख) * अंतिम लेखा बंद करने की तारीख				
		पन या परिपत्र की वैधता समाप्त होने की तारीख				
8.		की तारीख से पहले लेखापरिक्षित अंतिम तुलन पत्र के अनु	सार निवल मूल्य			
	क्रम सं.	विवरण	रकम (रुपयों में)			
	(क) (i)	प्रदत्त शेयरपूंजी				
	(ii)	मुक्त आरक्षितियां				
	(iii)	प्रतिभूति प्रीमियम लेखा				
	(ख) (i)	संकलित हानि				
	(ii)	स्थगित राजस्व व्यय का शेष				
	(iii)	उपलब्ध न कराया गया कुल अवमूल्यन				
	(iv)	विविध व्यय और प्रारंभिक खर्च				
	(v)	अन्य अमूर्त आस्तियां				
	(ग)	निवल मूल्य (क) -(ख)				
	(ঘ)	जमा की अधिकतम सीमा (अर्थात् निर्दिष्ट आईएफएससी				
		पब्लिक कंपनियों और प्राइवेट कंपनियों को छोड़कर अन्य				

(ग) वर्ष के दौरान स्वीकृत नई जमा रकम
(i) प्रतिभूत जमा
(ii) अप्रतिभूत जमा
(घ) वर्ष के दौरान लौटाई गई जमा रकम
(इ.) वर्ष के अंत में बकाया जमा का शेष
11. (क) *जमा रकम जो परिपक्व हो गई है परंतु जिसका दावा नहीं किया गया
(ख) *जमा रकम जो परिपक्व हो गई है और जिसका दावा किया गया, परंतु भुगतान
नहीं किया गया
12. *नकद आस्तियों का विवरण
(क) वित्तीय वर्ष के अंत में परिपक्व होने वाली जमा रकम और आने वाले आगामी वर्ष में
परिपक्व होने वाली जमा रकम
(ख) नकद आस्तियों में निवेश करने के लिए अपेक्षित राशि
(ग) नकद आस्तियों का विवरण
विवरण रकम
(क) किसी अधिसूचित बैंक में प्रभार या धारणाधिकार से मुक्त चालू या
अन्य जमा खाते में राशि
(ख) केन्द्रीय/राज्य सरकार की विल्लंगमरहित प्रतिभूतियां प्रत्यक्ष
मूल्य
बाजार मूल्य
(ग) विल्लंगमरहित न्यास प्रतिभूतियां प्रत्यक्ष मूल्य
बाजार मूल्य
13. प्रभार का विवरण
(क) न्यास विलेख पर हस्ताक्षर करने की तारीख
(ख) न्यासी का नाम
(ग) संपत्ति जिस पर जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए प्रभार का सृजन किया जाना है, क
संक्षिप्त विवरण
(घ) संपत्ति का मूल्य

_		
	14. कंपनी द्वारा प्राप्त कुल बकाया राशि या ऋण की कुल राशि, लेकिन निर्यथा निर्दिष्ट कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 2(1)(ग) के उमाना गया। 15. कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 2 के उप नियम (1 अनुसार, वित्तीय वर्ष के अंत में, कंपनी द्वारा उस धन या ऋण की प्राप्ति जमा नहीं माना गया	भनुसार जमा नहीं) के खंड (ग) के
	(क) (i) केंद्रीय सरकार; या (ii) किसी राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त की गई राशि; या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त धनराशि जिसके प्रतिसंदाय की गारंटी केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा है, या (iii) किसी स्थानीय प्राधिकरण से प्राप्त धनराशि; या (iv) संसद या किसी राज्य विधान मंडल के अधिनियम के अधीन गठित किसी कानूनी प्राधिकरण से प्राप्त कोई धनराशि।	
	(ख) (i) विदेशी सरकारों; या (ii) विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय बैंकों; (iii) बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों; (iv) विदेशी सरकार के स्वामित्व वाले विकास वित्तीय संस्थाओं; (v) विदेशी निर्यात ऋण एजेंसियों; (vi) विदेशी सहयोगकर्ताओं; (vii) विदेशी निकाय कारपोरेट; (viii) विदेशी नागरिकों; (ix) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के उपबंधों के अधीन भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों से प्राप्त कोई रकम।	

(ग) (i) किसी बैंककारी कंपनी से ऋण या सुविधा; या	
(ii) भारतीय स्टेट बैंक या इसके समनुषंगी बैंक से; या	
(iii) केंद्रीय सरकार द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949	
का 10) की धारा 51 के अधीन अधिसूचित किसी बैंककारी संस्थान से; या	
(iv) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980	
(1980 का 40) की धारा 2 के खंड (ग) में यथा परिभाषित समनुरूप नए	
बैंक; या	
(v) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 2 के	
खंड (ख-ii) में यथा परिभाषित किसी सहकारी बैंक से प्राप्त कोई रकम।	
(घ) निम्नलिखित से ऋण या वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त कोई रकम-	
(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं; या	
(ii) किन्हीं क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं; या	
(iii) बीमा कंपनियों; या	
(iv) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) में यथा	
परिभाषित अनुसूचित बैंक।	
(ङ) वाणिज्यिक कागजात जारी किए जाने के विरूद्ध या भारतीय रिजर्व	
बैंक के दिशा-निर्देशों या अधिसूचना के अनुसार जारी किसी अन्य	
लिखत से प्राप्त कोई रकम।	1
(च) किसी कंपनी द्वारा किसी अन्य कंपनी से प्राप्त कोई रकम।	
(छ) किसी प्रतिभूति के अभिदान के लेखे अधिनियम के उपबंधों के अनुसार	
किए गए किसी प्रस्ताव के अनुसरण में प्राप्त और धारित कोई रकम	
जिसके अधीन शेयर आवेदन राशि या प्रतिभूति के लंबित आबंटन के	
प्रति अग्रिम राशि भी है, जहां तक यह धनराशि आवेदन की गई	
प्रतिभूति के आबंटन के कारण बकाया राशि में विनियोजित की जाती	
है।	

(ज)कोई व्यक्ति जो रकम की प्राप्ति के समय कंपनी का एक निदेशक या किसी निजी कंपनी के निदेशक का संबंधी था, से प्राप्त कोई रकम।	
(झ)(क) किसी कंपनी की अमूर्त आस्तियों के अलावा अधिनियम की अनुसूची III में निर्दिष्ट किसी आस्ति पर प्रथम प्रभार के साथ प्रथम प्रभार या समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत बांड या डिबेंचर जारी करके जुटाई गई कोई धनराशि; या	
(ख) दस वर्ष के भीतर कंपनी के शेयरों में अनिवार्यत: संपरिवर्तनीय बांड/डिबेंचर।	
(ञ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा बनाए गए लागू विनियमनों के अनुसार मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी की आस्तियों पर कोई प्रभार नहीं बनने वाले अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के निर्गमन द्वारा जुटायी गई कोई रकम।	
(ट) कंपनी के किसी कर्मचारी से ब्याज रहित प्रतिभूति जमा के रूप में प्राप्त कोई रकम जो कंपनी के साथ रोजगार संविदा के अधीन उसके वार्षिक वेतन से अधिक न हो।	
(ठ) कोई ब्याज रहित प्राप्त और न्यास में धारित रकम।	
(ड) कंपनी के कारोबार के दौरान या इसके प्रयोजनार्थ प्राप्त कोई रकम जो -	
(i) माल की आपूर्ति या सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी भी स्वरूप में प्राप्त अग्रिम परंतु उक्त अग्रिम का विनियोजन माल की आपूर्ति या सेवाएं प्रदान करने के प्रति उक्त अग्रिम की स्वीकृति की तारीख से तीन सौ पैंसठ दिन की अविध के भीतर विनियोजित कर ली जाए।	

571 3	किसी करार या ठहराव के अधीन स्थावर संपितत के प्रतिफल के संबंध में किसी भी प्रकार से प्राप्त अग्रिम लेखा-जोखा, परंतु उक्त अग्रिम, करार या ठहराव के निबंधनों के अनुसार ऐसी संपितत के विरुद्ध समायोजित कर ली जाती है।	
(iii)	माल की आपूर्ति या सेवाओं के उपबंध किए जाने के लिए संविदा के निष्पादन हेतु प्रतिभूति जमा के रूप में।	
(iv)	कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (ग) के उप-खंड (xii) की मद (ख) के अधीन आने वाले माल के अलावा पूंजीगत माल की आपूर्ति के लिए दीर्घकालीन परियोजनाओं के अधीन प्राप्त अग्रिम के रूप में।	
(v)	लिखित करार के अनुसार किसी वारंटी या अनुरक्षण संविदा के रूप में, भावी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिफल के लिए अग्रिम के रूप में, यदि इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के लिए अविध ऐसी सेवा की स्वीकृति की तारीख से सामान्य कारबार व्यवस्था के अनुसार विद्यमान अविध से अनिधक या पांच वर्ष जो भी कम हो, होती है।	
(vi)	किसी क्षेत्रीय नियामक द्वारा केंद्रीय या राज्य सरकार के निदेशों के अनुसार प्राप्त और अनुज्ञात अग्रिम के रूप में।	
(vii)	प्रकाशन के लिए, चाहे वह प्रिंट या इलेक्ट्रोनिक हो, अंशदान के लिए अग्रिम के रूप में ऐसे प्रकाशनों की प्राप्ति के लिए समायोजित की जाएगी।	
(viii)	किसी उधार देने वाली वित्तीय संस्था के अनुबंध के अनुसरण में अप्रतिभूति ऋणों की रीति द्वारा कंपनी के प्रायोजकों द्वारा लाई गई कोई रकम।	
(ix)	इस अधिनियम की धारा 406 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किसी निधि कंपनी द्वारा प्राप्त कोई रकम।	

(x)	चिट फंड अधिनियम, 1982 (1982 का 4) के अधीन चिट के संबंध	
	में अंशदान की रीति द्वारा प्राप्त कोई रकम।	
(xi)	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा तैयार किए गए विनियमों	
(1)	के अन्पालन में किसी सामूहिक निवेश स्कीम के अंतर्गत कंपनी	
	दवारा प्राप्त कोई रकम।	
(xii)	किसी व्यक्ति से किसी एकल भाग में परिवर्तनीय नोट (जारी होने	
	की तारीख से पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के भीतर इक्विटी	
	शेयरों में परिवर्तनीय या पुनः भुगतान योग्य), की रीति द्वारा किसी	
	स्टार्ट-अप कंपनी द्वारा प्राप्त पच्चीस लाख रुपये या इससे अधिक	
	की कोई रकम।	
(xiii)	निम्नलिखित से किसी कंपनी दवारा प्राप्त कोई रकम-	
(/)		
	(क) वैकल्पिक निवेश निधियां;	
	(ख) घरेलू उद्यम पूंजी निधियां;	
	(ग) अवसंरचना निवेश न्यास;	
	(घ) स्थावर संपदा निवेश न्यास;	
	(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में पंजीकृत म्युचुअल फंड।	

संलग्नक संलग्नकों की सूची 1. लेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र संलग्न करें 2. न्यास विलेख की प्रतिलिपि संलग्न करें 3. प्रभार सृजित करने की लिखत की प्रतिलिपि संलग्न करें 4. जमाकर्ताओं की सूची संलग्न करें 5. नकद आस्तियों का विवरण संलग्न करें 6. वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो संलग्न करें संलग्नक हटाएं घोषणा मुझे, कंपनी के निदेशक बोर्ड दवारा तारीख * के संकल्प संख्या * के माध्यम से इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और यह घोषणा करने के लिए प्राधिकृत किया गया है कि इस प्ररूप की विषय वस्त् और इससे अनुषंगिक विषयों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का अन्पालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि इस प्ररूप के संलग्नकों सहित उपर्युक्त समस्त सूचना सही, सत्य और संपूर्ण है तथा कोई महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई नहीं गई है। डीएससी बॉक्स *डिजिटल हस्ताक्षर *पदनाम *निदेशक का डिन; या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ का डिन या पैन; या कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या टिप्पण: अधिनियम की धारा 448 और धारा 449 के उपबंधों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिनमें मिथ्या कथन और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपबंध है। संशोधित करें पूर्व संवीक्षा प्रस्तुत करें प्ररूप जांचे केवल कार्यालय प्रयोग के लिए ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) ई-प्ररूप फाइल करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)

यह ई-प्ररूप रजिस्ट्रीकृत किया जाता है
प्राधिकृत करने वाले अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर ______ प्रस्तुति की पुष्टि करें
हस्ताक्षर की तारीख _____ (दिन/मास/वर्ष)"

[फा.सं.1/8/2013-सीएल-V]

के. वी. अर. मूर्ति) संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 256(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए:

- (1) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 386(अ), तारीख 06 जून, 2014;
- (2) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 241(अ), तारीख 31 मार्च, 2015;
- (3) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 695(अ), तारीख 15 सितंबर, 2015;
- (4) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 639(अ), तारीख 29 जून, 2016;
- (5) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 454(अ), तारीख 11 मई, 2017;
- (6) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1172(अ), तारीख 19 सितंबर, 2017; और
- (7) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 612(अ), तारीख 5 जुलाई, 2018 ।